दिनांक 13.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 20/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेशज्ञं

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर जनपदीय पुलिस द्वारा 12 मिनट के अन्दर मौके पर पहुँच कर, बचायी गयी छात्र की जान

दिनांक 12–06–2025 को जनपद देवरिया के थाना भलुअनी निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक द्वारा गले मे फाँसी का फन्दा लगाये हुए दिखाकर **"भाई लोग माफ करना आज मै मरने जा रहा हूँ"** यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया । उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक 12–06–2025 को 03:44 बजे मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई–मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर युवक की लोकेशन की जानकारी करके जनपद देवरिया को तत्काल प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना भलुअनी के उ0नि0 12 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने परिजनों से तत्काल युवक के सम्बन्ध में जानकारी की जिस पर परिजनों ने बताया कि वह कमरे में होगा। पुलिसजन अविलम्ब परिजनों के साथ उसके कमरे की तरफ दौड़े व दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। कमरे में उक्त युवक द्वारा गले में गमछा कसकर फाँसी लगाने का प्रयास किया जा रहा था तत्काल उसके गले से फन्दे को निकाला गया, युवक पसीने से तरबतर था तथा जोर–जोर से हाफ रहा था एवं अवसाद की स्थिति में था। पुलिस द्वारा परिजनों के सहयोग से घरेलू प्राथमिक उपचार के उपरान्त युवक के सामान्य होने पर जानकारी की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि वह बीए

द्वितीय वर्ष का छात्र है, उसके माता–पिता द्वारा बैंक से लोन लिया गया था, जिसको वह अदा नही कर पाये थे जिसका नोटिस छात्र को प्राप्त हुआ तथा लोन अदा करने हेतु छात्र से कुछ कहासुनी भी हुयी थी। जिससे क्षुब्ध होकर उसे आत्मग्लानि महसूस हुयी, जिसके कारण उसके मन में आत्महत्या की बात आयी और यह कदम उठाया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा समय से पहुँच कर युवक को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर युवक द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। युवक के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई–मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01–01–2023 से 31–05–2025 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 986 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना गाजीपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा**
- **नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन**
- **02 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 13.06.2025 को एएनटीएफ थाना गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शरीफपुर पुल के पास थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर से 03 अभियुक्तों 1–विजय प्रताप 2–नसीर रायनी 3–रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा, नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, 02 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय प्रताप निवासी सिपाह बस्ती अलावलपुर थाना बरेसर जनपद गाजीपुर।

2–नसीर रायनी निवासी गोरा बाजार पी0जी0 कॉलेज थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3–रोहित कुमार निवासी नथनपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लगभग 25 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 50 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा।

2–नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन।

3–02 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 13.06.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरवा तिराहा ग्राम परसिया मल्ल के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना महुआडीह पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवा निवासी गांधीनगर थाना हाटा जनपद कुशीनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद इटावा/थाना जसवन्तनगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2025 को थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कटेखेड़ा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त कौसर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद इटावा, फतेहगढ़ के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जसवन्तनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कौसर निवासी ठिरिया निजामत खां थाना कैन्ट जनपद बरेली।

जनपद हरदोई/थाना शाहाबाद

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार आदि बरामद**

दिनांक 13.06.2025 को थाना शाहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–सनी 2–रिंकू 3–दो अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद, चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.06.2025 को थाना शाहाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सनी निवासी ग्राम गेसुपुर थाना सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर।

2–रिंकू निवासी ग्राम जोगीपुर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़।

3–दो अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–घटना में प्रयुक्त 01 ईको कार आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कटका

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 105 ग्राम अवैध हेरोइन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.06.2025 को थाना कटका व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निरीक्षण भवन गेट ग्राम अहिरौली गोविन्द साहब के पास से 03 अभियुक्तों 1–बृजभूषण 2–राजेश 3–प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 105 ग्राम अवैध हेरोइन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कटका पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बृजभूषण निवासी लारपुर दक्षिण थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2–राजेश निवासी ग्राम अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

3–प्रमोद कुमार निवासी ग्राम रन्नापुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 04 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलो 105 ग्राम अवैध हेरोइन।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मऊ/थाना घोसी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 173 पेटी अवैध शराब**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 12.06.2025 को थाना घोसी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–रंजीत कुमार 2–सरोज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 173 पेटी अवैध शराब, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना घोसी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रंजीत कुमार निवासी भादा थाना बगेनगोला जनपद बक्सर बिहार।

2–सरोज निवासी ग्राम तारनपुर थाना राजपुर जनपद बक्सर बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत के 173 पेटी अवैध शराब।

2–01 चार पहिया वाहन आदि।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सिगरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 29 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना सिगरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/307/147/148/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विकास 2–मन्टू 3–राहुल 4–मनीष 5–गणेश 6–अभिषेक 7–दिनेश 8–अनूप 9–सूरज 10–रमेश 11–अनुज उर्फ बाबू 12–श्याम बाबू 13–विशाल 14–संदीप कुमार 15–सुरेश 16–आर्या उर्फ आकाश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 29 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना छावनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 63–63 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना छावनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/302/323/ /504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामसागर 2–प्रदीप 3–रिंकू 4–सूरज 5–दो अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 63–63 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना इब्राहिमपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना इब्राहिमपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मनोज 2–अनुभव को आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(डीए)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–कपिल 2–अपचारी को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना कल्यानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 03 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना कल्यानपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/363/201 भादवि व

6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ज्ञानेन्द्र उर्फ बउवा को आजीवन कारावास व 03 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जालौन/थाना कदौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कदौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राशिद को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद आजमगढ़/थाना बरदह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बब्लू को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————